

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज०)

पीठासीन अधिकारी :- हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं० :- 23/2018

(75 एल.आर.एक्ट)

उनवान

1. नत्थीराम पुत्र मोहरपाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम कमालपुर तहसील रामगढ  
जिला अलवर राज०,

..... अपीलांट

बनाम

1. तहसीलदार रामगढ तहसील रामगढ जिला अलवर राज० ।

..... रेस्प०

उपस्थित :-

1. श्री लक्ष्मण सिंह पोसवाल, अभिभाषक अपीलांट ।  
2. श्री गणपतसिंह नरुका राजकीय अभिभाषक रेस्प० ।


∴ निर्णय ∴

दिनांक :- 21.11.2019

यह अपील विद्वान अति० जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर के निर्णय दि० 09.05.2018 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार रामगढ के आदेश दि० 08.09.2016 जिसके तहत अपीलांट को अतिक्रमी मानते हुए ग्राम कमालपुर की सरकारी चारागाह भूमि आराजी खसरा नंबर 278 रकबा 4.38 हैक्टेयर में से 0.38 है० पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से दण्डित किये जाने का आदेश पारित किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)ने अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्प० को तलब किया । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की अपील में तथ्यों को ध्यान में रखकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ के आदेश दिनांक 08.09.2016 को यथावत रखते हुये दिनांक 09.05.2018 को अपील अपीलांट खारिज कर दी जिस निर्णय दि० 09.05.2018 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्प० को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब की जाकर विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
अलवर (राज०)

विद्वान अभिभाषक अपीलांट का कथन है कि विवादित आराजी ग्राम कमालपुर की सरकारी चारागाह भूमि आराजी खसरा नंबर 278 रकबा 4.38 हैक्टेयर में से 0.38 है० पर अपीलांटान का कब्जा होना जाहिर किया है जबकि अपीलांट को इस संदर्भ में कभी कोई नोटिस नहीं दिया गया तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ द्वारा निर्णय पारित किया है। पश्चातवर्ती अतिक्रमण अपीलांट ने नहीं किया यानि पूर्व में अपीलांट को बेदखल नहीं किया गया है। विवादित आराजी खसरा नंबर 278 रकबा 4.38 है० वाके ग्राम कमालपुर तहसील रामगढ जिला अलवर अपीलांट के बुजुर्ग हरभजन एवं रामचन्दर वगैरह की कब्जे काश्त खातेदारी की है। जिस पर उनका कब्जा काफी समय पूर्व से चला आ रहा है। इस आराजी को साबिक बंदोबस्त संवत 2020 में गलत रूप से चारागाह दर्ज कर दिया उसके बाद हाल बंदोबस्त संवत 2058 में भी गलत रूप से चारागाह दर्ज कर दिया। अपीलांट ने अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित कराने हेतु उपखण्ड अधिकारी रामगढ के समक्ष दावा पेश किया हुआ है जिसमें धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अस्थाई निषेधाज्ञा भी जारी की हुई है। पटवारी हल्का को स्पष्ट रूप से चिन्हित करना चाहिये कि आराजी के किस तरफ के हिस्से पर अतिक्रमण हुआ है। तहसीलदार रामगढ ने ना तो मौका देखा ना ही मौके की रिपोर्ट तलब की और महज पटवारी हलका की गलत रिपोर्ट के आधार पर अपना निर्णय पारित किया है।

अतः अधीनस्थ न्यायालय के दोनों निर्णय निरस्त करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोंडेंट का कथन है कि विवादित आराजी सरकार की है जिस पर उन्हें अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नहीं है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट ने भूमि पर अतिक्रमण किया है जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत निर्णय पारित किये हैं। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार रामगढ के निर्णय दिनांक 08.09.2016 को यथावत रखते हुए अपीलांट को तीन माह के सिविल कारावास व जुर्माने व बेदखली के आदेश को यथावत रखा है। इस क्रम में पत्रावली के अवलोकन करने से जाहिर होता है कि अपीलांट ने सरकारी आराजी पर कब्जा किया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का बेदखली आदेश न्यायोचित है।

अभिभाषकगण इस बात का शपथपत्र प्रस्तुत करने को तैयार है कि उनके द्वारा विवादित आराजी पर कब्जा नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने सजा पर किया गया निर्णय त्रुटिपूर्ण होकर निरस्त योग्य है।

तहसीलदार द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट का विवादित आराजी पर अतिक्रमण नहीं है एवं वर्तमान में भूमि खाली अंकन किया है जो उनके द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र की ताईद करती है।

रजस्व अपील प्राधिकरण  
अलवर (राज०)

बउनवान नत्थीराम बनाम सरकार  
अपील सं० 23/2018

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है । विद्वान अति० जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर का निर्णय दि० 09.05.2018 व तहसीलदार रामगढ़ का आदेश दिनांक 08.09.2016 सिविल कारावास की सजा की सीमा तक निरस्त किये जाते हैं तथा शेष निर्णय यथावत रहेगा। खर्चा अपना-अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 21.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

62/21-11-19  
(हरि राम मीना)  
राजस्व अपील प्राधिकारी,  
अलवर (ज०)